कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.10.2024

विषयः- थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त निहाल अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-331/2024 धारा 191(2),333,115(2),352,351(2),76,304(2),324(2),3(5),109(1),117(4) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निहाल अरोड़ा पुत्र हरिश कुमार अरोड़ा निवासी आटा चक्की गली सुशीला कुंज अपरार्टमेंट सोनिया थाना सिगरा कमि0 वाराणसी को दिनांक-08.10.2024 को समय करीब 14.50 बजे आटा चक्की गली सुशीला कुंज अपरार्टमेंट के पास सोनिया थाना सिगरा से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त में दिनांक-04.10.2024 को 01 नफ़र अभियुक्त मृत्युंजय गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण-

दिनांक-15.09.2024 को वादिनी मुकदमा ने प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर वादिनी, उनके पति व उनके बच्चों को घर में घुसकर मारने-पीटने, गाली-गुप्ता देने, सोने की चेन व 20000/- रु0 ले लेने, वादिनी के कपड़े फाड़कर अर्द्धनग्न् कर देने, घर में रखे समान को तोड़ देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर मे मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अंकुर कुशवाहा द्वारा संपादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त निहाल अरोड़ा ने विवाद का कारण पूछने पर बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर राजेश सिंह द्वारा मेरी बहन पर कमेन्ट को लेकर मार-पीट की घटना हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

निहाल अरोड़ा पुत्र हरिश कुमार अरोड़ा निवासी आटा चक्की गली सुशीला कुंज अपरार्टमेंट सोनिया थाना सिगरा कमि0 वाराणसी, उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-08.10.2024 को समय करीब 14.50 बजे आटा चक्की गली सुशीला कुंज अपरार्टमेंट के पास सोनिया थाना सिगरा से ।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 331/2024 धारा 191(2), 333, 115(2), 352, 351(2), 76, 304(2), 324(2), 3(5), 109(1), 117(4) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अंकुर कुशवाहा थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. हे0का0 सुरेन्द्र मौर्या थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी